महिलाओं के प्रति बढ़ता उत्पीड़न– एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शोध निर्देशक–
डॉ. के.एन.एस. यादव
एसोशिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र
राधे हरि राजकीय स्ना. महाविद्यालय
काशीपुर उत्तराखण्ड

शोधकत्री–
पूजा रानी
संविदा असि.प्रोफेसर
रा.स्ना.महा.स्याल्दे
अल्मोड़ा उत्तराखण्ड

प्राचीन एवं अर्वाचीन विचारक नारी को संस्कृति एवं सभ्यता का मेरुदण्ड मानते है। विश्व की सभी संस्कृतियों में नारी के प्रति विशेष, उदार, और उन्नत विचार रखे गये है। नारी को शक्ति का महान भण्डार और परिवार की नींव माना गया है। चूंकि परिवार समुदाय की नींव है और समुदाय राष्ट्र की अतएव नारी ही समाज व राष्ट्र की वास्तविक कर्णधार है।

परन्तु इस सबके पश्चात् भी व्यावहारिक रुप में नारी की स्थिति ऐसी नही रही है। समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन आए है। यदि एक समय में यह देवी की तरह पूजी गई है तो दूसरे ही समय चेरी की भांति प्रताड़ित भी हुई है। वर्षो से समाजशास्त्री तथा गैर–समाजशास्त्री हमारे समाज में महिलाओं की समस्याओं का मूल्यांकन एवं उनकी प्रस्थिति में आ रहे परिवर्तनों के अध्ययन में प्रयत्नशील रहे हैं। वैधानिक दृष्टि से स्त्रियों की स्थिति को ऊँचा उठाने के लिए चाहे कितने भी कदम उठाए गए हो किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उनके साथ सदै ही भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है तथा उनका तिरस्कार अपमान व प्रताड़ना अभी भी जारी है।

महिला उत्पीड़न एक सार्वभौम प्रघटना है कोई भी काल, स्थान और परिस्थितियां रही हो प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति सदैव ही दायम दर्जे की रही है। पुरुष के समक्ष उसे सदैव ही कमजोर और निम्न स्तर का माना गया है और यह विश्वास प्रकट किया गया है कि उसे सदैव पुरुष के अधीन रहना चाहिए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के सन्दर्भ में महिलाओं की स्थिति की समीक्षा की जाए तो एक समय में उसे बहुत ही श्रेष्ठ, सम्माननीय और गौरवपूर्ण समसा गया है परन्तु गौरव के इसी इतिहास के पीछे नारी के शोषण, अपमान और कष्टो की छद्म कथा छिपी हुई है, जिसे विभिन्न सामाजिक सन्दर्भो, समय और परिस्थितियों में सदैव ही उचित और न्यायपूर्ण ठहराया जाता रहा है।

वस्तुतः नारी के ऐतिहासिक स्वरुप के समुचित अवलोकन हेतु हमें विभिन्न कालों में उसकी स्थिति को ज्ञात करना होगा–

प्राचीन काल

में स्त्रियों की स्थिति से सम्बंधित दो विचार सम्प्रदाय मिलते है। एक सम्प्रदाय का कहना है कि स्त्रियॉ पुरुषो के बराबर थी, जबकि दूसरे सम्प्रदाय की मान्यता है कि स्त्रियों का न केवल अपमान ही होता था बल्कि उनके प्रति घृणा भी की जाती थी। दोनो ही सम्प्रदायों ने अपने दृष्टिकोण की पुष्टि में धार्मिक साहित्य के उदाहरण दिये है। आप स्तम्ब ने निर्दिष्टि किया था, ''जब स्त्री रास्ते में जा रही हो तो सभी उसे रास्ता दें'', मनु ने कहा था ''जहॉ स्त्रियों की दुर्दशा हाती है वहां सम्पूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त करता है''। वस्तुत इस काल में स्त्रियों की स्थिति काफी अच्दी थी और उन्हे जीने के तमाम अधिकार

प्राप्त थे। हांलाकि स्मृति और पौराषिक काल तक आते आते स्त्रियों की स्थिति और गरिमा का पतन होने लगा था, उनके तमाम अधिकारों का पतन होने लगा था और उन पर अनेकानेक अमानवीय निर्योग्याताएँ लाद दी गई।

वैदिक युग में स्त्रियाँः–

वैदिक युग में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी पिता का परिवार हो या पति का परिवार दोनेा ही स्थानो पर इन्हे वांछित सम्मान प्राप्त था। यथापि पितृ सत्तात्मक परिवार व्यवस्था के कारण पुत्र संतान अनिवार्य व महत्वपूर्ण थी । परन्तु कन्या जन्म भी अशुभ नहीं माना जाता था । विवाह के पश्चात स्त्रियों की स्थिति और भी अच्छी हो जाती थी इस युग में महिलाओं को समृद्धि की देवी समझा जाता था और उनके सम्मान करने पर जोर दिया जाता था। इस काल में स्त्रियों को अपने लिए वर चुनने की स्वतंत्रता थी। यथापि विधवा पुनर्विवाह प्रचालित नही था लेकिन विधवाओं के साथ सम्मान जनक व्यवहार किया जाता था और उन्हे अपने पति की सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त था।

उत्तर वैदिक काल में स्त्रियाँ

इस काल में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होने लगा था और यह विचार पनपने लगा की बौद्धिक दृष्टि से स्त्री पुरुष से निम्न है। महाभारत में उल्लेखित उदाहरणो से स्पष्ट होता है कि यद्यापि महिलाओं के प्रति वैचारिक मान्यताओं में परिवर्तन होने लगाा था, परन्तु सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रो में अभी भी महिलाओं के अधिकारो को कम नही किया गया था।

मध्यकाल में स्त्रियाँ

11 वी शताब्दी से 18 वीं शताब्दी के काल को मध्यकाल कहा जा सकता है। वास्तव में इस काल में महिलाओं की स्थिति में जितना हास्य हुआ उसे भुलाया नही जा सकता। उसे अधिकारो से वंचित कर दिया गया था और वह परिवार की मात्र एक आवश्यकता बन कर रह गई। पर्दा प्रथा ने नारी को घर की चाहर दीवारी की कैद में रहने के लिए मजवूर कर दिया। बाल–विवाहो का बाहुल्य् हो गया तथा शिक्षा के द्वार उसके लिए लगभग बन्द कर दिये गये। सती प्रथा अपने शिखर पर पहुॅच गई। वस्तुतः मध्यकाल में स्त्रियों की स्वतंत्रता सब प्रकार से छीन ली गई और उन्हे जन्म से मृत्यु तक पुरुषो के अधीन कर दिया गया।

आधुनिक काल में स्त्रियां

भारत में 1940 तक (ब्रिटिश) शासनकाल स्त्रियो की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद उत्तरदायी है वस्तुतः इस काल में स्त्रियो की विभिन्न क्षत्रो में निर्योग्यताएं बनी रही।

स्वतंत्र भारत में महिलाएं

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1950 के बाद से स्त्रियों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। संरचनात्मक तथा सांकृतिक दोनों की प्रकार के परिवर्तनों नें स्त्रियों कों न केवल शिक्षा, रोजगार तथा राजनीतिक भागीदारी में समान अवसर प्रदान दिये बल्कि स्त्रियों के शोषण को भी कम किया है तथा उन्हे अपने संगठन बनाने के अवसर प्रदान किये जिससे वे अपनी समस्याओं में अधिक रूचि लें सकें।

(डी0पी0 शुक्ला व उषा शुक्ला 1999 : 137)

भारतीय महिला आज भी आर्थिक रुप से पुरुषो के प्रभुत्व से मुक्त नही है। (राष्ट्रीय महिला आयोग रिपोर्ट 1996–97 : 22–24) सामाजिक, नैतिक व मनोवैज्ञानिक में भी उसकी स्थिति पुरुषों के अनुरुप नही है जिस प्रकार वह नौकरी करती है, इस सबके प्रति उसकी निष्ठा, उसके जीवन के स्वरुप के संदर्भ पर निर्भर करती है। जब वह अपना प्रौढ जीवन प्रारम्भ करती है तब उसका अतीत वैसा नही होता जैसा पुरुष का होता है। एक बड़ी संख्या में महिलाए मुक्ति प्राप्त करने में असफल रहती है, क्योकि वे परम्परागत नारी जगत के घेरे से बाहर नहीं निकल पातीं। उन्हे न तो समाज से ही और न ही अपने पति से ही पुरुषो के समान होने के लिए आवश्यक सहायता मिलती है। निसंदेह आज भी वे पुरुषो के अत्याचारो की शिकार है।

वास्तविकता यह है कि पुरुष आज भी नारी को गांधारी के रुप में देखना पसंद करता है। लोकोपवाद के कारण सीता की तरह उसे वहिष्कृत कर देता है। एक और नारी की क्षणिक भूल को क्षमा करने के स्थान पर अहिल्या बना देता है, तो दूसरी और द्रौपदी के रुप में उसका उपभोग भी करना चाहता है।

स्थिति चाहे जो भी हो लेकिन हम इतना तो अवश्य कह सकते है कि परिवर्तन साथ–साथ और अनेकानेक सामाजिक और वैद्यानिक प्रयत्नो के कारण नारी की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए है। उसने समाज में एक नई स्थिति को प्राप्त किया है और वह निरंतर अपनी स्थिति के उत्थान के प्रति सजग है।

ऐतिहासिक एवं वर्तमान संदर्भ में महिला उत्पीड़न के स्वरुप

सामान्यतः बात जब उत्पीड़न की उठती है तो इसमें हमें मारपीट, प्रताड़ना, मिथ्यारोपण, परेशान करना, हत्या के प्रयास और हत्या आदि को शामिल करते है। परन्तु जब यह उत्पीड़न से महिला उत्पीड़न में संदर्भित हो जाता है तो इसमें अनेक नवीन आयाम सहज ही जुड़ जाते है। यथा बलात्कार, बलात्कार का प्रयास, छेड़छाड़, अपहरण, देहिक शोषण, कन्या–शिशु हत्या, कन्या भूण हत्या, सती प्रथा पर्दा प्रथा, मारपीट और दहेज उत्पीड़न आदि। ये सभी संदर्भ महिलाओं के स्वतंत्र व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने में चुनौती के रुप में काम करते है।

महिला उत्पीड़न की अवधारणा एवं परिभाषा

''उत्पीडन'' सामान्यः एक व्यक्ति द्वारा किया गया ऐसा दकार्य या व्यवहार है जिससे दूसरे व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है। दूसरे शब्दों में यदि एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये गये कार्यो या व्यवहारो से कष्ट, तकलीफ या परेशानी अनुभव करता है और जिससे उसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या अन्य किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है तो उसको हम उत्पीड़न के अर्थ में समझते है।

राबर्ट जी. काडवैल (1956) के अनुसार – Conduct which incurs the formal pronoun cement of the moral condemnation of the community.

(Codwwell, Robert G. 'Crimininology' 1956)

छेडछाड या हमले को व्क्त करते हुए ए.एच. बस (1961) लिखते है– "Aggression refers to injurious behaviour (Buss A.H. The psychology of aggression, 1961)

ज्ञान की वर्तमान दशा

हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। जिसमें महिलाओ को सामाजिक व्यवस्था में अनिवार्य हाने के बाद भी लैंगिक आधार पर सबसे निचले स्तर पर रखा गया है। महिलाएं कालांतर से ही उत्पीड़ित होती आई है तथा यह उत्पीड़न वर्तमान में ओर भी अधिक फलता–फूलता नजर आ रहा है। महिलाओं के साथ भेदभाव, हिंसा, मारपीट, शोषण, छेडछाड, शरीरिक व मानसिक तनाव आदि महिलाओ की गरिमा को ठेंस पहुचातें है। महिलाओ के प्रति बढता यह उत्पीड़न अत्यंत ही चिंता का विषय बना हुआ है।

अध्ययन की आवश्कता

महिलाओ के प्रति बढ़ता उत्पीड़न देश एवं समाज के लिए एक गहन चिंता का विषय बना हुआ है। समय रहते यदि इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस कदम नही उठाया गया तो यह न केवल समाज को प्रभावित करेगा। वरन् पूरा राष्ट्र भी इससे प्रभावित होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. उत्तरदाताओं की परिवारिक व आर्थिक स्थिति ज्ञात करना।
2. महिला उत्पीड़न के प्रमुख स्वरुपों को ज्ञात करना।
3. महिला उत्पीड़न के प्रभावों का पता लगाना।

अध्ययन प्रारुप

हमारा अध्ययन का समग्र बाजपुर तहसील, जिला ऊधम सिंह नगर का वार्ड नं0 1 है। जिसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1421 है। जिसमें पुरुषो की संख्या 750 तथा महिलाओ की संख्या 671 है। अतः अध्ययन के लिए हमने 50 महिलाओं का चयन दैव–निदर्शन की लॉटरी विधि द्वारा किया है। प्रस्तुतन शोध के उत्तरदाता चूंकि महिलाएँ ही है जो कि शिक्षित–अशिक्षित है। ऐसी स्थिति में उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त करने हेतु साक्षात्कार – अनुसूची का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन की उपलब्धियॉ

तालिका संख्या 01 – परिवार का मुखिया

क्रम संख्या	मुखिया	आवृत्ति	प्रतिशत
01	पुरुष	40	80
02	महिला	10	20
	योग	50	100

उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट होता है कि कुल परिवारो में से 80 प्रतिशत पुरुष मुखिया है जबकि 20 प्रतिशत मुखिया स्त्री है। अतः हमारे उत्तर दाताओ की प्रकृति भी पितृसत्तात्मकता को प्रदर्शित करती है।

तालिका संख्या 02 परिवार का आकार

क्रम संख्या	मुखिया	आवृत्ति	प्रतिशत
01	संयुक्त	35	70
02	एकांकी	15	30
	योग	50	100

अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल परिवारो में से 70 प्रतिशत परिवारो की प्रकृति संयुक्त है जबकि 30 प्रतिशत परिवार एकांकी प्रकृति के है। वस्तुतः संयुक्त परिवार से सम्बद्ध महिलाओ की संख्या सर्वाधिक है।

तालिका संख्या 03 उत्तरदाताओ की आयु का विवरण

क्रम संख्या	मुखिया	आवृत्ति	प्रतिशत
01	21–31	25	50
02	32–42	15	30
03	43–53	07	14
04	54 से अधिक	03	06
	योग	50	100

तालिका संख्या 03 से ज्ञात होता है कि हमारे उत्तरदाताओ का प्रतिशत 21–31 वर्ष का 50 है। 32–42 वर्ष के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 30 है। 43–53 आयु वर्ग के उत्तरदाताओ का प्रतिशत 14 है जबकि 54 वर्ष से अधिक आयु के उत्तरदाता मात्र 06 प्रतिशत है।

तालिका संख्या 04 परिवार में महिलाओ की स्थिति का विवरण

क्रम संख्या	महिलाओ की स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
01	उत्तम	15	30
02	सामान्य	16	32
03	निम्न	19	38
04	दयनीय	–	–

	योग	50	100

तालिका संख्या 04 से प्राप्त आंकडो से पता चलता है कि परिवार में महिलाओं की उत्तम स्थिति का प्रतिशत 30 है। 32 प्रतिशत उत्तरदाताओ की स्थिति सामान्य है तथा 38 प्रतिशत महिलाओ की स्थिति निम्न है। जबकि दयनीय स्थिति का प्रतिशत शून्य है।

तालिका संख्या 05 उत्तरदाताओ की आर्थिक स्थिति

क्रम संख्या	आर्थिक स्थिति	आवृत्ति	प्रतिशत
01	बहुत अच्छी	08	16
02	अच्छी	10	20
03	सामान्य	15	30
04	निम्न	17	34
	योग	50	100

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि कुल परिवारो में मात्र 16 प्रतिशत लोगो की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छी स्थिति वाले परिवारो का प्रतिशत 20 है। 30 प्रतिशत उत्तरदाताओ की आर्थिक स्थिति सामान्य है जबकि निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारो का प्रतिशत 34 है जो कि सर्वाधिक है।

तालिका संख्या 06 महिला उत्पीड़न के स्वरुपो का विवरण

क्रम संख्या	उत्पीड़न के स्वरुप	आवृत्ति	प्रतिशत
01	शारीरिक	14	28
02	मानसिक	20	40
03	आर्थिक	12	24
04	सामाजिक	04	08
	योग	50	100

प्राप्त आंकडों से ज्ञात होता है कि सम्पूर्ण में से 40 प्रतिशत महिलाएँ मानसिक रुप से, 28 प्रतिशत महिलाएँ शारीरिक रुप से, 24 प्रतिशत महिलाएँ आर्थिक रुप से तथा 08 प्रतिशत महिलाएँ सामाजिक रुप से उत्पीडत हुई है अथवा होती है।

अतः विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएँ मुख्यतः मानसिक रुप से उत्पीड़ित हुई है अथवा होती है।

तालिका संख्या 07 महिला उत्पीड़न के प्रभावों का ज्ञात करना

क्रम संख्या	उत्पीड़न के प्रभाव	आवृत्ति	प्रतिशत
01	मानसिक रुप से	22	44
02	शारीरिक रुप से	11	22
03	आर्थिक रुप से	05	10

04	पारिवारिक रुप से	08	16
05	सभी रुप से	04	08
	योग	50	100

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि पारिवारिक रुप से 16 प्रतिशत महिलाऐं उत्पीड़न से प्रभावित है, 10 प्रतिशत आर्थिक रुप से, 22 प्रतिशत महिलाऍं शारीरिक रुप से, 44 प्रतिशत महिलाऍं मानसिक रुप से व 08 प्रतिशत महिलाओं पर सभी प्रकार का प्रभाव पड़ा है।

विश्लेषण प्रस्तुत करता है कि सर्वाधिक संख्या में महिलाऐ मानसिक उत्पीड़न से प्रभावित होती हैं।

निष्कर्ष

महिलाऍं समाज का एक अभिन्न अंग होती है तथा महिला एंव पुरुष के संयोग से ही समाज का निमार्ण होता है। महिलाओं एवं पुरुषों के सम्बधों में सबल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही प्रभावशाली स्थिति प्राप्त करता है। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है जिसमें महिलाओ को अनिवार्य होने के बाद भी हमेशा द्वितीयस्तर पर रखा गया तथा उनके प्रति हमेशा से ही निम्न बर्ताव रखा गया है महिलाओं के प्रति बढता उत्पीड़न देश एवं समाज के लिए एक गहन चिंता का विषय बना हुआ है। यदि समय रहतें इस समस्या के समाधान हेतु कोई ठोस कदम नही उठाया गाया तो यह न केवल समाज को प्रभावित करेगा वरन् पूरा राष्ट्र भी इससे प्रभावित होगा।

प्रस्तुत अध्ययन कार्य हेतु संकलित प्राथमिक तथ्यों के आधार पर ''महिलाओं के प्रति बढ़ता उत्पीड़न एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' के सन्दर्भ हमें जो निष्कर्ष प्राप्त हुए है उन्हे निम्न बिन्दुओं के रुप में देखा जा सकता है–

अध्ययन से ज्ञात होता है कि हमारे उत्तरदाताओं की पारिवारिक पृष्ठभूमि में परिवार के मुखिया सर्वाधिक पुरुष ही हैं, जो कि पुरुष प्रधान समाज की व्यवस्था को ही परिलक्षित करता है। उत्तरदाताओ के परिवार का आकार संयुक्त व एकांकी दोनों प्रकार का पाया गया है सर्वाधिक महिलाऍं संयुक्त परिवार से संबधित थी। संयुक्त परिवार में रहने के कारण उनकी पारिवारिक स्थिति बहुत निम्न पायी गयी।

उत्तरदाताओं की आर्थिक स्थिति से भी परिलक्षित होता है कि इनकी आर्थिक स्थिति निम्न ही है।

महिला उत्पीड़न के स्वरुप शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व सामाजिक चार प्रकार के है। तथा विश्लेषण से पता चलता है कि अधिकांश महिलाएं/सर्वाधिक महिलाएं मुख्यतः मानसिक रुप से ज्यादा उप्तीड़ित हुई हैं/होती है।

महिला उत्पीड़न के प्रभावों से प्राप्त आंकड़े यह बताते है कि महिलाओं पर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व पारिवारिक सभी रुपो से प्रभाव पड़ता है। जबकि सर्वाधिक बूरा प्रभाव मानसिक रुप से पडता है।

सुझाव

यद्यपि महिला उत्पीड़न को कम या समाप्त करने के लिए अनेकों सामाजिक और वैद्यानिक प्रयास सरकारी संस्थानों द्वारा किए गए है तथापि महिला उत्पीड़न का निरंतर बढता हुआ ग्राफ इन उपायो की खामियो को उजागर करता है समस्त अध्ययन कार्य और सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त अनुभवो से यह ज्ञात होता है कि चूँकि समस्त इकाईया निम्न शैक्षणिक पारिवारिक व आर्थिक स्थिति प्राप्त है उन पर उत्पीड़न की मात्रा भी अधिक है जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यदि महिलाओ को उच्च शिक्षा प्रदान कर उन्हे अपने पैरों पर खड़ा होने में सहयोग प्रदान किया जाये तो वे स्वयं पर होने वाले अत्याचारो/उत्पीड़न का प्रतिरोध कर सकती है तथा अपनी निम्न स्थिति को ऊचा उठा सकती है।

सन्दर्भ

1. वशिष्ट, विनीता (1998) –नारी तुम अबला कब तक' समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश 22.

2. आहुजा, राम (1987) क्राईम अगेंस्ट वूमेन, रावत पाब्लिकेशन्स, नई दिल्ली : 10–12

3. मनु 'मनु स्मृति' : 217

4. छिल्लर, मन्जू लता (2012) 'अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न,' अर्जुन पाब्लिशिंग हाऊ, नई दिल्ली : 24–25